सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011 (म. प्र.)

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95, 97, फैक्स : (0755) 2552363, 2552364

क../रा.शि.के./डी.एड. 1532

भोपाल,दिनांक 29/4/10

प्रति,

प्राचार्य,
(समस्त) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
जिला–........................ म.प्र.

विषय:– डी. एड. प्रवेश नियम 2010–11.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डी. एड. प्रवेश नियम 2010 –11 शासन से जारी हो गये हैं। उक्त नियम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित हैं।

अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

म.प्र.शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

डिप्लोमा इन एज्यूकेशन नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश नियम–2010–11

1. नामः– इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिप्लोमा इन एज्यूकेशन नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश नियम–2010 होगा

2. प्रभावशीलता ः–ये नियम सत्र 2010–11 से प्रभावशील होगें ।

3. परिभाषाएॅं– इन नियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा अभिप्रेत न हो,

(क) डी.एड. से तात्पर्य है डिप्लोमा इन एज्यूकेशन'' पाठ्यक्रम

(ख) एन.सी.टी.ई. से तात्पर्य है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (National Council for Teacher Education)

(ग) ''शासकीय अभ्यार्थी से तात्पर्य है–शिक्षा गारंटी शाला के अध्यापक वर्ग–3/संविदा शाला शिक्षक वर्ग–3/ गुरूजी/ शिक्षा गारंटी शाला के पर्यवेक्षक/ सहा शिक्षक विज्ञान/संविदा शाला शिक्षक वर्ग–2/अध्यापक वर्ग–2 के रूप में शासकीय विद्यालयों में कार्यरत हो।

(घ)गैर शासकीय अभ्यर्थी से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जो शासकीय अभ्यर्थी न हो।

4. शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश की प्रक्रिया ः–

4.1 प्रवेश हेतु अर्हता– डी.एड. नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास निम्न अनिवार्य अर्हताए होना आवश्यक होगा ः–

(क) अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल की हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, तथा

(ख) प्रवेश की अंतिम तिथि की स्थिति में उसकी आयु 17 वर्ष हो ।

4.2 प्रवेश हेतु प्राथमिकता ः–

शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध डी.एड. के समस्त स्थानों पर म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी । इस प्रकार म.प्र. के मूल निवासी के सभी आवेदकों के प्रवेश के पश्चात् स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा ।

4.3 <u>चयन की प्रक्रियाः–</u>

4. 3.1 पद वितरण एवं आरक्षण–

''प्रत्येक संस्थान में स्थानों का वितरण व आरक्षण परिशिष्ट –1 के अनुसार होगा तथा आरक्षित श्रेणी के शासकीय अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य श्रेणियों के शासकीय अभ्यर्थियों से स्थान भरने की प्रक्रिया परिशिष्ट–2 के अनुसार होगी । समस्त अर्हताधारी शासकीय अभ्यार्थियों को प्रवेश देने के उपरान्त शेष रिक्त स्थानों पर ही नियमानुसार गैर–शासकीय अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।''

4.3.2 अभ्यर्थी को अपने जिले में स्थित शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में ही आवेदन करना होगा । अन्य जिले में स्थित शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल में आवेदन करने पर आवेदन पत्र पर विचार नही किया जा सकेगा । ऐसे जिले जहॉ कोई शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नही है के अभ्यर्थी निम्नानुसार समीपवर्ती जिले के शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आवेदन कर सकेगें –

कमांक	अभ्यर्थी का जिला	संस्था जहॉ आवेदन किया जा सकेगा
1.	बुरहानपुर	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खण्डवा
2.	अशोक नगर	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बजरंगगढ,गुना
3.	हरदा	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पचमढी जिला होशांगाबाद
4.	अनुपपुर एवं उमरिया	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शहडोल
5.	कटनी	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर
6.	डिण्डोरी	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मण्डला
7.	नीमच	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंदसौर
8.	श्योपुर कलॉ	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मुरैना

4.3.3 शासकीय अभ्यर्थियों के चयन का आधार नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की वरिष्ठता होगा।

4.3.4 गैर शासकीय अभ्यर्थियों के चयन का आधार हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राप्त अंको का प्रतिशत होगा।

4.3.5 अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक अपना आवेदन पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा । यह आवेदन सादे कागज पर परिशिष्ठ–3 में उल्लेखित जानकारियों सहित प्रस्तुत किया जावेगा । ''संस्था द्वारा प्राप्त गैर शासकीय अभ्यार्थियों के आवेदन पत्रों को श्रेणीवार (अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अनारक्षित) एवं वर्गवार सूचीबद्व किया जावेगा। इन सूचीबद्व अभ्यार्थियों में से जिले में गठित चयन समिति द्वारा प्रवेश हेतु पात्र अभ्यार्थियों का चयन किया जावेगा। शासकीय अभ्यार्थियों के आवेदन पत्रों को वरिष्ठता अनुसार सूचीबद्व किया जावेगा।''

4.3.6 अभ्यर्थियों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जावेगा । जिस जिले में संस्था स्थित है उस जिले के कलेक्टर द्वारा नामित उप जिलाध्यक्ष संबंधित चयन समिति का अध्यक्ष तथा संबंधित संस्था का प्राचार्य सदस्य सचिव होगा। चयन समिति के अन्य सदस्य संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग होगें ।

4.3.7 चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि की सूचना संबंधित संस्थान के सूचना पटल पर नियत तिथि को चस्पा कर दी जावेगी । समस्त चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से प्रवेश लेना होगा । निर्धारित तिथि तक प्रवेश नही लेने पर शेष स्थानों के लिये संबंधित संस्थान द्वारा प्रतीक्षा सूची से चयन कर सूची जारी की जा सकेगी । चयनित अभ्यर्थी को सूची जारी होने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि में अनिवार्य रूप से संस्था में प्रवेश लेना होगा ।

4.4 <u>सामान्य–</u>

4.4.1 समस्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शासकीय अभ्यर्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा की जावेगी।

4.4.2 प्रवेश प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी को संस्थान द्वारा नियत अंतिम तिथि तक प्रवेश लेना होगा अन्यथा उसका प्रवेश बिना कोई सूचना दिए निरस्त कर दिया जाएगा ।

4.4.3 प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद पर राज्य शिक्षा केन्द्र का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

4.4.4 संस्थान में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जावेगा ।

4.5 स्थानान्तरण–

सामान्यतः प्रशिक्षणार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा । विशेष परिस्थितियों में शासकीय कार्यालय में कार्यरत अभिभावक के स्थानान्तरण पारस्परिक अन्तरण अथवा विवाह की स्थिति में ही स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा । उक्त स्थानान्तरण दोनों प्राचार्यो की अनुशंसा के आधार पर आयुक्त / संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र की अनुमति से स्थान रिक्त होने की स्थिति में ही किये जा सकेगें।

5. अशासकीय संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया

5.1 प्रवेश हेतु अर्हता– डी.एड. नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास निम्न अनिवार्य अर्हताएँ होना आवश्यक होगा–

(क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल अथवा समकक्ष बोर्ड द्वारा हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण ।

(ख) प्रवेश की अंतिम तिथि की स्थिति में उसकी आयु 17 वर्ष हो ।

5.2 प्रवेश हेतु प्राथमिकताः–

अशासकीय संस्थाओं में उपलब्ध डी.एड. के समस्त स्थानों पर म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी । इस प्रकार म.प्र. के मूल निवासी के सभी अभ्यर्थियों के किये गये प्रवेश के पश्चात् स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा ।

5.3 प्रवेश व चयन की प्रक्रियाः–

5.3.1 संस्था में आरक्षण के लिये परिशिष्ट 1 एवं 2 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार स्वीकृत स्थानों पर प्रवेश दिये जाएंगे।

5.3.2 अशासकीय संस्थानों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को नियत तिथि तक आवेदन पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगें । यह आवेदन सादे कागज पर परिशिष्ट 3 में उल्लेखित जानकारियों सहित प्रस्तुत किया जाएगा । प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को नियत मापदण्ड के आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा। इन सूचीबद्ध आवेदकों में से संस्था के द्वारा गठित चयन समिति द्वारा प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा प्रत्येक संस्था की चयन समिति में संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपना प्रतिनिधि नामांकित किया जायेगा जिसकी उपस्थिति में ही चयन का कार्य सम्पादित करना आवश्यक होगा।

5.3.3 ''संस्था में राज्य शासन द्वारा जिले के लिये निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।''

5.3.4 चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि की सूचना संबंधित संस्थान के सूचना पटल पर नियत तिथि पर चस्पा कर दी जावेगी । समस्त चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से प्रवेश लेना होगा । निर्धारित तिथि तक सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश नही लेने पर शेष स्थानों के लिए संबंधित संस्थान द्वारा प्रतीक्षा सूची से चयन कर पूरक प्रवेश सूची जारी की जा सकेगी । चयनित अभ्यर्थी को सूची जारी होने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि में अनिवार्य रूप से प्रवेश लेना होगा ।

5.4 सामान्यः–

5.4.1 अभ्यर्थियों के द्वारा संस्था को राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा

5.4.2 डी.एड. प्रवेश की प्रक्रिया 30 सितम्बर तक पूर्ण कर 01 अक्टूबर से शिक्षण कार्य अनिवार्य रूप से प्रारम्भ कर दिया जावे।

5.4.3 प्रवेश प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी को संस्थान द्वारा नियत अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से प्रवेश लेना होगा अन्यथा प्रवेश बिना किसी सूचना के निरस्त किया जा सकेगा ।

5.4.4 प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद पर राज्य शिक्षा केन्द्र का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा

5.4.5 अशासकीय संस्थान में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों को पोस्टमेटिक छात्रवृत्ति का भुगतान आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जावेगा।

5.4.6 ''अशासकीय प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश सूचियां प्रवेश समिति द्वारा सत्यापित व हस्ताक्षरित होना चाहिए। ''इस प्रकार सत्यापित सूची की एक–एक प्रति राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित तिथि तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शिक्षा केन्द्र एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को उपलब्ध कराई जावेगी। इस प्रकार उपलब्ध कराई गई सूची में अंकित छात्र ही मण्डल द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए पात्र होगें ।

5.4.7 अशासकीय प्रशिक्षण संस्थान संस्था को एन.सी.टी.ई. से प्राप्त मान्यता की प्रति, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की सम्बद्धता, पूर्ण पता, दूरभाष क्रमांक एवं समिति द्वारा चयनित छात्रों की सत्यापित सूची आदि समस्त जानकारी अपने जिले के शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को दिनांक 30 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें। डाइट समेकित जानकारी संकलित कर दिनांक 15 अक्टूबर 10 तक राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराएंगे।

5.4.8 समस्त अशासकीय संस्थाओं को इन नियमों व समय समय पर जारी विभागीय निर्देशों अथवा परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव
म0प्र0 शासन स्कूल/शिक्षा विभाग
भोपाल

परिशिष्ट–1

गैर शास. अभ्यर्थियों एवं अशा. संस्थानों में डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु स्थानों का विवरण

कुल स्थान	गणित एवं जीव विज्ञान	कला	अन्य
50	25	15	10

उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल

परिशिष्ट–2

<u>संकाय /आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य संकाय /श्रेणी के अभ्यर्थियों से रिक्त स्थान भरने की प्रक्रिया</u>

(शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के अभ्यर्थियों के लिए समान रूप लागू)

1. निःशक्तजन हेतु प्रत्येक श्रेणी में एक स्थान आरक्षित रखा गया है जिसको किसी भी श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग व अनारक्षित) तथा वर्ग (महिला /पुरूष) के लिए उपलब्ध स्थान के विरूद्व की जा सकेगी ।
2. निःशक्तजन अथवा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी संकाय के तथा उसी श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग व अनारक्षित) के अन्य अभ्यर्थियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकेगी ।
3. किसी श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में दूसरे श्रेणी के अभ्यर्थियों से निम्न तालिकानुसार स्थान भरे जा सकेगें ।

अनुसूचित जनजाति श्रेणी में स्थान रिक्त होने पर	प्रथमतः अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	द्वितीयः अन्य पिछडा श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	तृतीयतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से
अनुसूचित जाति श्रेणी में स्थान रिक्त होने पर	प्रथमतः अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	द्वितीयः अन्य पिछडा श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	तृतीयतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से
अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी में स्थान रिक्त होने पर	प्रथमतः अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	द्वितीयः अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	तृतीयतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से

उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल

परिशिष्ट–3

डी.एड. नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम (उपनाम सहित)——————————————————————————

2. पिता/पति का नाम

———————————————————————————————————

3. श्रेणी – अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4. पदनाम (यदि सेवारत हो तो)——————————————————————————

5. विभाग स्कूल शिक्षा/आदिवासी विकास विभाग

——————————————————————

6. कार्यरत संस्था का नाम व पता——————————————————————————

7. शैक्षणिक योग्यताएँ–

क्र0	परीक्षा का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों काप्रतिशत	बोर्ड/वि0वि0का नाम	विषय	विशेष
1							
2							
3							

8 संकाय – जीवविज्ञान / गणित / कला

9. जन्म दिनांक– (अंकों में) तिथि माह वर्ष

शब्दों में)——————————————————————————————

(जन्म तिथि हेतु आयु संबंधी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

दिनांक 01.08.2010 आयु –

वर्ष .... माह .... दिन ....

10. क्षेत्र के शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नाम जहॉ के लिये पात्र है

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं .... प्रमाणित करता/करती हूॅ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सही है। असत्य पाए जाने पर मुझे प्रवेश से वंचित किया जाना स्वीकार है। मैं सस्थान अथवा मंडल के नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूगॉ/करूॅगी। मैंने सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियॉ आवेदन पत्र में संलग्न कर दी है। यदि डी.एड. प्रशिक्षण हेतु मेरा चयन होता है तो मैं निर्धारित संस्थान में पूरे सत्र प्रशिक्षण प्राप्त करूॅगा/करूॅगी ।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

पता :